

पृष्ठांकन

विषय: संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राजभाषा निरीक्षण के अनुसरण में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिए गए निदेशों के अनुपालन संबंधी।

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 10 जनवरी, 2023 के पत्र सं. ई-11015/01/2021-हिंदी (पार्ट-1) के पत्र द्वारा संस्थान को सूचित किया गया है कि संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के किए गए राजभाषा निरीक्षण के अनुसरण में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए गए निदेशों की एक प्रति स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संस्थान को प्रेषित की जा रही है (प्रति संलग्न) जिसे सभी सम्बद्ध विभागों/अनुभागों/केन्द्रों आदि के अवलोकन तथा अपेक्षित अनुपालन हेतु पृष्ठांकित किया जाता है।

कृपया सभी संबद्ध विभागों/अनुभागों/केन्द्रों द्वारा इस संबंध में उचित अनुपालनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।


(नीरज कुमार शर्मा)

वरिष्ठ वित्त सहायक एवं
राजभाषा अधिकारी

वितरण:

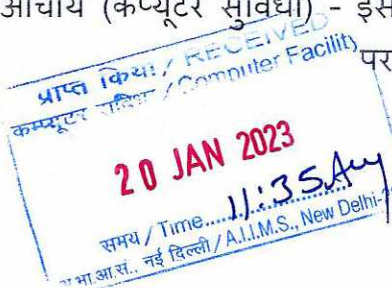
- 1 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, स्थापना अनुभाग (नि.का.)
- 2 वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, संकाय प्रकोष्ठ
- 3 प्रशासन अधिकारी, भर्ती प्रकोष्ठ
- 4 प्रशासन अधिकारी, सम्पदा अनुभाग
- 5 प्रशासन अधिकारी, विधि प्रकोष्ठ
- 6 प्रशासन अधिकारी, ई.एच.एस. प्रकोष्ठ
- 7 प्रशासन अधिकारी, एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ
- 8 प्रशासन अधिकारी, ए.सी.आर. प्रकोष्ठ
- 9 प्रशासन अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ
- 10 प्रशासन अधिकारी, समन्वय प्रकोष्ठ

- 11 लेखा अधिकारी, सामान्य भविष्य निधि अनुभाग
- 12 लेखा अधिकारी, प्री-ऑडिट अनुभाग
- 13 लेखा अधिकारी, ऑडिट अनुभाग
- 14 लेखा अधिकारी, बजट एवं संकलन अनुभाग
- 15 लेखा अधिकारी, एम.एस.यू.
- 16 छात्रावास अधीक्षक, छात्रावास अनुभाग
- 17 मुख्य सुरक्षा अधिकारी, सुरक्षा विभाग
- 18 अधीक्षण अभियंता, इंजीनियरी सेवा विभाग
- 19 मुख्य पुस्तकालयाध्यक्ष, बी.बी.दीक्षित पुस्तकालय
- 20 प्रशासन अधिकारी, अनुसंधान अनुभाग
- 22 उप-निदेशक, कंप्यूटर सुविधा
- 23 कुल-सचिव, शैक्षिक अनुभाग
- 24 सहायक परीक्षा नियंत्रक, परीक्षा अनुभाग
- 25 भंडार अधिकारी, भंडार अनुभाग (नि.का.)
- 26 प्रशासन अधिकारी, सामान्य अनुभाग
- 27 प्रशासन अधिकारी, अस्पताल
- 28 प्रशासन अधिकारी, डॉ. रा.प्र. केन्द्र
- 29 प्रशासन अधिकारी, हृदय तंत्रिका केंद्र
- 30 प्रशासन अधिकारी, डॉ.बी.आर.अ.सं.रो.कें.अ.
- 31 प्रशासन अधिकारी, दंत शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र
- 32 प्रशासन अधिकारी, जे.पी.एन.ए. ट्रॉमा केन्द्र
- 33 प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र, गाजियाबाद
- 34 प्रशासन अधिकारी, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, झज्जर

प्रतिलिपि:

- निदेशक/अपर निदेशक (प्रशासन) महोदय के निजी सचिव।
- वरिष्ठ वित्त सलाहकार एवं राजभाषा अधिकारी महोदय के निजी सचिव।
- निदेशक (रा.भा.) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
- मुख्य प्रशासन अधिकारी/वित्त सलाहकार महोदय के वैयक्तिक सहायक।

✓ प्रभारी-आचार्य (कंप्यूटर सुविधा) - इस अनुरोध के साथ कि इसे संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करें।



सुश्री अंकिता

पूजा



भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Nirman Bhavan, New Delhi - 110011

सं.ई-11015/01/2021- हिंदी (पार्ट-1)
दिनांक-10 जनवरी, 2023

विषय:- संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राजभाषा निरीक्षण के अनुसरण में संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिए गए निदेश।

संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप समिति द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2023 को नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राजभाषा निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में सचिव स्वास्थ्य के साथ मंत्रालय से अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया था। समिति द्वारा मंत्रालय में हिंदी पत्राचार तथा अधिकारियों द्वारा हिंदी में किए जाने वाले कामकाज का प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सभी निदेशकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों से अनुरोध है नीचे लिखे निदेशों का पालन करें।

1. सभी अधिकारी अपने दैनिक कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करें इससे न केवल हिंदी में कामकाज बढ़ेगा बल्कि उनके अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों को भी हिंदी में कामकाज करने की प्रेरणा मिलेगी।
2. मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) के सभी सदस्य/ अधिकारी भी ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करें, राजभाषा नियमों के अनुसार आपसे अपना शत प्रतिशत कार्य हिंदी में करने की अपेक्षा की जाती है।
3. सभी अधिकारी तथा कर्मचारी जिन्हें हिंदी कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, प्रवीणता का प्रशिक्षण प्राप्त करें यह प्रशिक्षण आनलाइन उपलब्ध है और इसे आसानी से सीखा जा सकता है।
4. मंत्रालय में क, ख तथा ग क्षेत्रों के कार्यालयों/व्यक्तियों अथवा राज्य सरकारों से अंग्रेजी में प्राप्त होने वाले सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में अथवा द्विभाषी ही दिए जाने चाहिए। चूंकि हमारा मंत्रालय में 'क' क्षेत्र में स्थित है अतः इन सभी पत्रों के उत्तर शत प्रतिशत हिंदी में या द्विभाषी ही भेजे जाएं इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए और यदि आपका कार्यालय ख अथवा ग क्षेत्र में है तो वार्षिक कार्यक्रम में नियत लक्ष्य के अनुसार पत्राचार किया जाए।

5. इसी प्रकार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/संस्थानों तथा गैर सरकारी व्यक्तियों को भेजे जाने वाले सभी पत्र द्विभाषी रूप में अथवा हिंदी में होने चाहिए।
6. मंत्रालय में यांत्रिक सुविधाओं अर्थात् कंप्यूटर पर हिंदी में किया जा रहा कामकाज 86% है जबकि वार्षिक कार्यक्रम में निहित लक्ष्य के अनुसार यह 100% अपेक्षित है अतः इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
7. मंत्रालय की वेबसाइट अंशतः द्विभाषी है जबकि नियमानुसार यह वेबसाइट शत प्रतिशत द्विभाषी होनी चाहिए। वेबसाइट की देखभाल तथा संचालन करने वाली एजेंसी तथा इससे संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें।
8. राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की सभी बैठकें हिंदी में ही होती हैं, इनके कार्यवृत्त तथा कार्यसूचियां भी हिंदी में जारी होते हैं, किंतु इसके अलावा अन्य प्रशासनिक सभी प्रकार की बैठकें भी हिंदी में आयोजित की जाएं तथा उनकी कार्यसूची और कार्यवृत्त भी हिंदी में जारी किए जाएं।

सभी अधीनस्थ/संबद्ध/स्वायत्त उपक्रम और आर्युविज्ञान संस्थान आदि सभी कार्यालय मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की तिमाही बैठकों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

इन पत्रों को अपने अधीनस्थ/नियंत्रणाधीन कार्यालयों आदि में परिचालित कराएं तथा अनुपालन के यथोचित निर्देश दें।

कृपया की गई कार्रवाई से हिंदी प्रभाग को भी सूचित करें ताकि समिति सचिवालय को सकारात्मक परिणामों से अवगत कराया जा सके। इस पत्र को सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।



(परमानन्द आर्य)

निदेशक (राजभाषा)

सेवा में,

1. महानियंत्रक, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन- इस पत्र को केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन के सभी जोनल कार्यालयों, सब-जोनल कार्यालयों, पोर्ट ऑफिसों तथा प्रयोगशालाओं आदि में परिचालित कराने के लिए।
2. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सभी अधीनस्थ/ संबद्ध/ स्वायत्त उपक्रम/ आर्युविज्ञान संस्थान/ सभी अपर निदेशक (सीजीएचएस)।